उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14 – अशोक मार्ग , शक्ति भवन , लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या :144–पें0एवंआर0–28/पाकालि/13–10(10)–पें0एवंआर0/02, दिनांक : 15,जनवरी, 2013

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी।
पष्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ।
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।
केस्को, कानपुर/ट्रान्सको, लखनऊ।
मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत)/अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग,
समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–I/II)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।

विषयः **राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रकम पर महिलाओं के लिये आरक्षण।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्मिक अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–18/1/99–का/99 दिनांक 26.02.99 की प्रतिलिपि संलग्न करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा अपनी सेवाओं में राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रकम पर महिलाओं के लिये 20% आरक्षण दिये जाने सम्बन्धी उक्त शासनादेश को कारपोरेशन के निदेशक मण्डल के कार्योत्तर अनुमोदन की प्रत्याशा में अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

कृपया कारपोरेशन के उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा इन आदेशों से अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

प्रबन्ध निदेशक

संलग्नक : यथोक्त।

संख्या : (I)पें0एवंआर0–28/पाकालि0/13 तददिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. उप सचिव, ऊर्जा अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ को उनके पत्र सं0–2270/24–पी–2–11–78(सा0)/11 दिनांक 26.09.11 के संदर्भ में।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के विशेष कार्याधिकारी।
3. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारैपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
8. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
9. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
10. समस्त अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 (मु0), शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट, WWW.Uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

15/1/13

(जावेद अहमद)
संयुक्त सचिव (अराजपत्रित)

संख्या 18/1/99/का-2/99

प्रेषक,

श्री सुधीर कुमार,
सचिव,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

1—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0 प्र0 शासन ।
2—समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उ0 प्र0 ।
3—समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0 प्र0 ।

लखनऊ : दिनांक 26 फरवरी, 1999

विषय :—राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं के लिए आरक्षण ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित शर्तों एवं उपबन्धों के अधीन राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है:—

1—आरक्षण राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर केवल सीधी भर्ती के प्रक्रम पर होगा । पदोन्नति के पदों पर नहीं होगा ।

2—आरक्षण हारिजेन्टल प्रकृति का होगा अर्थात् किसी राज्याधीन लोक सेवा और पद पर महिला आरक्षण के अधीन चयनित महिला जिस श्रेणी की होगी उसे उस श्रेणी के प्रति समायोजित किया जायेगा ।

3—यदि कोई महिला, किसी राज्याधीन लोक सेवा और पद पर मेरिट के आधार पर चयनित होती है तो उसकी गणना उस पद पर महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्ति के प्रति की जावेगी ।

4—राज्याधीन लोक सेवाओं पर पदों में सीधी भर्ती के लिए किसी चयन में महिलाओं के लिए आरक्षित पद यदि महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण नहीं भरा जा सके तो वह पद उपयुक्त पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जावेगा व भविष्य के लिए अग्रेनीत नहीं किया जावेगा ।

5—राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के लिए महिलाओं के सम्बन्ध में वांछित सभी अर्हतायें, पद सम्बन्धी सुसंगत सेवा नियमावली में उल्लिखित पूर्ववत् अर्हताओं के अनुरूप रहेगी व उनमें इस शासनादेश से कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

6—यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे लेकिन जिन रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किये जा चुके हैं या जिन रिक्तियों के लिए चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी हो, उन पर यह आदेश लागू नहीं होंगे । चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ होने का आशय भर्ती का आधार केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार होने की स्थिति में ऐसी परीक्षा/साक्षात्कार प्रारम्भ हो जाने से है । जिन पदों पर भर्ती का आधार लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों है उनके सम्बन्ध में चयन प्रक्रिया प्रारम्भ होने का आशय लिखित परीक्षा प्रारम्भ हो जाने से है ।

7—लोक सेवाओं एवं पदों का तात्पर्य उ0 प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 में परिभाषित "लोक सेवाओं और पदों" से है ।

कृपया शासन के उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें । यह भी अनुरोध है कि शासनादेश से अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों को भी अवगत करा देवें ।

भवदीय,
सुधीर कुमार,
सचिव

संख्या 18/1/99/रा0-2/99, तद्दिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस अभ्युक्ति सहित कि कृपया अपने संबंधित अधीनस्थों को भी अवगत कराने का कष्ट करें ।

1—सचिव, महामहिम राज्यपाल, उ0 प्र0 ।

2—निदेशक, उ0 प्र0 प्रशासन अकादमी, नैनीताल ।

3—सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0, इलाहाबाद ।

4—निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, उ0 प्र0 को प्रचार-प्रसार हेतु ।

5—सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

6—समस्त निजी सचिव, मा0 मन्त्रीगण, उ0 प्र0 ।

आज्ञा से,
सुधीर कुमार,
सचिव ।